

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख
हुक्म

मोहर कार्ड इनिशियल्स नाम शरोज देवी वर्मा

मुनं- 43/25

किस्म - T.I

26/9/25 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पदावली में वास्तु होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14.11.25 को पेश हो।

14.11.25 पत्रावली पेश हुई। कमील शर्मा उपस्थित। कमील शर्मा ने कक्षाधीनता के तलवामा सम्मन पेश करने हेतु समझ पाठ 200/- रुपये cost पर भीतिम अपसद किया जाता है। पत्रावली वास्तु तलवी प्रतिवादीगण/कक्षाधीनता दिनांक 14.12.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

12.12.25 अतिभाषको द्वारा अतिभाषक संघ चुनाव 2025 के मध्य नजर न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15.01.26 को पेश हो।

15.01.26 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पदावली पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24-26 को पेश हो।

24.2.26 पत्रावली पेश हुई। पदावली के अर. 2 आवाज दिलवाई गई। उमर पदा उपस्थित नहीं। पत्रावली लम्बे समय है तलवी में लंबित है। शर्मा को अर. 2 निर्देशों के बावजूद भी शर्मा द्वारा प्रतिवादीगण/कक्षाधीनता के तलवामा सम्मन पेश नहीं किसे और निर्देशों की अपहेलना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>.....बनाम.....</p> <p>मोहर बाई उर्फ मोहरा सरोज देवी कौर</p> <p>मु.नं.- 43/25 किस्म - 12</p>	

की गई इससे स्पष्ट है कि प्रार्थ पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली प्रार्थ की अदम एगरी व अदम पैरकी में स्वारिज की जाती है। पत्रावली केवल शुभार होकर डाकविल इफलर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)